(206)

वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के लंबित अपीलीय आवेदन हेतु झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा–06 में यथा गठित समिति की बैठक की कार्यवाही। 950 19/03/2026

झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 की धारा--06 में विभागीय सचिव की अध्यक्षता में यथा प्रावधानित अनुदान समिति की बैठक दिनांक 18.03.2026 को मध्याह्न 12:00 बजे आहूत की गई।

2. उपस्थिति :–संलग्नक के अनुसार।

3. राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय एवं स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय को झारखंड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 एवं यथासंशोधित नियमावली, 2015 तथा प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय एवं प्रस्वीकृत मदरसों हेतु निर्गत संकल्प संख्या--296 दिनांक–06.02.2023 में यथा उपबंधित छात्र संख्या तथा अन्य निर्धारित शर्तों के आधार पर अनुदान की राशि वितरण किया जाने के निमित्त नवनिर्मित विभागीय अनुदान पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन जमा करने हेतु निदेशलयीय पत्रांक–4061 दिनांक–07.11.2025 द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने संबंधी पत्र निर्गत किया गया।

वित्तीय वर्ष 2025--26 के अनुदान हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के आलोक में ऑनलाईन आवेदनों का विवरण निम्नवत् है :–

राज्य सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त/ प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय	289
प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय	171
प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय	31
प्रस्वीकृत मदरसा	32

उक्त आवेदनों के जांच हेतु निदेशालीय पत्रांक--875 दिनांक–12.03.2025 के द्वारा गठित अनुदान स्क्रीनिंग समिति की बैठक दिनांक–14.03.2026 को संपन्न हुई। स्क्रीनिंग समिति द्वारा तैयार प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त विभागीय अनुदान समिति द्वारा निम्न निर्णय लिया गया:--

(i). प्रथमतः समिति द्वारा वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 तथा झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008, झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004, झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 एवं यथारांशोधित नियमवाली, 2015 (विभागीय अधिसूचना संख्या–810 दिनांक–11.05.2015),

205

विभागीय संकल्प संख्या–1090 दिनांक 29.11.1980 के प्रावधानों के तहत प्रस्वीकृत मदरसा तथा संकल्प संख्या–2291 दिनांक 18.10.1976 के प्रावधानों के तहत् प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय, जो अनुदान हेतु निर्धारित सभी न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करते हैं, को विभागीय संकल्प संख्या–296 दिनांक–06.02.2023 के मुख्य बिन्दुओं के आधार पर प्राप्त आवेदनों का विहंगम अवलोकन किया गया, जिसमें मुख्यतः सोसायटी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं बंधक विलेख अपलोड की स्थिति, झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची के द्वारा निर्गत शासी निकाय अपलोड/अद्यतन/अथवा नहीं की स्थिति, संस्थान का प्राप्त परिवाद का निष्पादन की स्थिति एवं संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी का संस्थान के विरूद्ध की गई टिप्पणी, झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा संस्थान के स्थापना अनुमति की स्थिति, प्रस्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत शासी निकाय के गठन की स्थिति, वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त प्रस्वीकृति के कारण अनुदान निर्गत करने की स्थिति, परिवाद की सुनवाई के दौरान अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति, मानक के अनुरूप वर्गकक्ष की स्थिति एवं अन्यान्य शर्तों को शामिल किया गया।

(ii) विभागीय पत्रांक–2021 दिनांक–28.07.2024 द्वारा स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय में सीट निर्धारण से संबंधित सभी संकाय हेतु निर्धारित 384-384-384 सीटो में 01 यूनिट यानि 128 सीट की वृद्धि के फलस्वरूप सभी संकाय में 512–512–512 सीट या पूर्व में स्वीकृत यूनिट/सीट में जो भी कम हो, की स्वीकृति दी गई है, के आलोक में इंटर महाविद्यालयों को झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची से प्राप्त छात्रों की संख्या के आधार पर राशि स्वीकृत की गई।

(iii) झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2015 एवं अन्य सुसंगत नियमों के तहत दो माध्यमिक विद्यालयों यथा; संत जोसेफ उ0वि0, बरमसिया, गोड्डा एवं संत अन्ना उ0वि0, दिघिया, बेड़ो, रांची को शासी निकाय संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के आधार पर, झारखंड सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त संस्थान होने के बावजूद हरिजन आदिवासी विकास उच्च विद्यालय, पिरगुल, बोकारो एवं उच्च विद्यालय, सताकी, राहे, रांची द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त कर लिये जाने के आधार पर, उच्च विद्यालय, अवगा, सिमडेगा एवं किसान उ0वि0, पिठौरिया, कांके, रांची एवं शहीद भगत इंटर महाविद्यालय, जपला, पलामू का संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से परिवाद के संबंध में प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर, आवासीय बालिका उ0वि0, यशपुर, बोकारो द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के आधार पर तथा आदर्श उ0वि0, बुधुडीह, गिरिडीह, उच्च विद्यालय, बांसारूली, सिल्ली, रांची एवं मदरसा गौसिया, मनीटोला, डोरंडा, रांची को वर्गकक्ष उपलब्धता के आधार पर वित्तीय वर्ष 2024–25 के अपील आवेदन के आलोक मे वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 में अनुदान की राशि स्वीकृत की गई।

(iv) निदेशालीय आदेश संख्या–892 दिनांक–20.03.2008 में निहित शर्तों के अधीन एवं झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 के प्रवृत होने के पूर्व झारखंड सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त

संस्थानों को मात्र 01 या 02 वर्षों हेतु अस्थायी स्थापना अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे कई बार विस्तारण देते हुए अंतहीन प्रक्रिया बनाकर झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा आज तक विस्तारण दिया जा रहा है। नियमावली प्रवृत होने के बाद 02 वर्ष की अवधि समाप्त हुए काफी समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु अब तक इनके द्वारा प्रस्वीकृति प्राप्त नहीं किये जाने के कारण इनके वर्तमान अनुदान को अस्वीकृत करते हुए ऐसे संस्थानों को एक वर्ष के अन्दर निश्चित रूप से स्थायी प्रस्वीकृति प्राप्त करने का निर्णय लिया गया। प्रस्वीकृति प्राप्त किये जाने के उपरांत हीं इन संस्थानों को अनुदान की राशि स्वीकृत किये जाने पर विचार किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार से स्थापना अनुमति प्राप्त स्वत्वधारक माध्यमिक विद्यालयों, जिन्हें अनुदान अधिनियम, 2004 के अनुसार अनुदान हेतु पात्रता के अन्तर्गत शामिल किया गया तथा झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 की कंडिका 7 के अधीन ऐसे संस्थानों को निर्धारित समयावधि में प्रस्वीकृति लेने का शर्त अधिरोपित होने के उपरांत भी ऐसे संस्थानों द्वारा भी आज तक प्रस्वीकृति नहीं ली गई है। चूंकि विभागीय स्तर से ऐसे संस्थानों को किसी प्रकार का निदेश दिये जाने या पत्राचार करने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अतः ऐसे संस्थानों का अनुदान मात्र वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्वीकृत करते हुए निर्णय लिया गया कि आगामी वर्ष से उनके अनुदान स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा, जब तक कि झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 की कंडिका 7 में निहित शर्तों को पूर्ण नहीं करतें है।

(v) झारखण्ड राज्य अन्तर्गत कतिपय घोषित अल्पसंख्यक संस्थान यथा; लोयला उच्च विद्यालय, गोमिया, बोकारो, संत जॉन्स उ0वि0, मुरहू, खूँटी, नरपति उ0वि0, शमसेरा, सिमडेगा एवं श्यामा प्रसाद इंटर महाविद्यालय, खासमहल, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम को उनके शासी निकाय का अनुमोदन विधिवत् झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची से नहीं होने अथवा किसी अन्य माध्यम से होने का प्रमाण नहीं रहने के कारण अनुदान अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी से उक्त संस्थानों का अल्पसंख्यक होने संबंधी साक्ष्य अथवा उनके शासी निकाय सक्षम प्राधिकार से निर्गत होने संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

(vi) झारखण्ड राज्य वित्त रहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2015 में प्रावधानित इंटर महाविद्यालय/उच्च विद्यालय के संदर्भ में सामान्य/महिला/अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के आधार पर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा सचिव, झारखंड अधिविद्य परिषद्, रांची से प्राप्त प्रतिवेदन (ऑनलाईन) के आधार पर राशि की गणना की गई है। इस संदर्भ में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेशित किया जाता है कि वह सम्यक् जांच कर अपने रतर से पूर्ण रूप से आश्वस्त हो लें कि अनुदान प्राप्त करने वाले इंटर

महाविद्यालय/उच्च विद्यालय किये गये वर्गीकरण के श्रेणी में आते है अथवा नहीं। यदि उक्त इंटर महाविद्यालय/उच्च विद्यालय के जांच के क्रम में उक्त प्रतिवेदित अर्हता पूरी नहीं करते है तो नियमानुसार निर्धारित दर के अनुसार गणना करते हुए राशि की कटौती कर ही भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में पूर्ण जबाबदेही जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी।

(vii) संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने जिलों में अवस्थित संस्थान को अनुदान की राशि के भुगतान के पूर्व जाँच कर सुनिश्चित कर लेंगे कि यू डाइस (UDISE Code) में अंकित छात्र संख्या एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची के स्तर पर दसवीं बोर्ड परीक्षा/इंटर परीक्षा में सम्मिलित होनेवाले छात्रों में समानता हो तथा संस्थान अनुदान प्राप्ति हेतु सभी न्यूनतम अर्हता को पूर्ण करता हो।

(viii) एक ही भू–खण्ड तथा भवन में यदि इंटर महाविद्यालय के अलावे कोई डिग्री महाविद्यालय संचालित है अथवा किसी अन्य स्रोत से उसे सरकारी सहायता/अनुदान प्राप्त होता है, तो ऐसे संस्थान को अनुदान भुगतेय नहीं होगा तथा इसकी सूचना झारखण्ड अधिवद्य परिषद्, रांची व निदेशालय को दी जाएगी।

(ix) संस्थान, जिसे अनुदान दिया जाना है, में किसी भी अवधि/स्थिति में यदि घोर अव्यवस्था एवं वित्तीय अनियमितता का मामला पाया जाता है, तो ऐसे संस्थान के संबंध में प्राप्त आरोपों की जांचोपरांत ही अनुदान देने/नहीं देने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(x) झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 का नियम–07(ञ) तथा झारखण्ड माध्यमिक विद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2008 का नियम–09 (ख) में निहित प्रावधान के अनुपालनार्थ किसी भी परिस्थिति में संस्थान में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षक को अनुदान की राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(xi) ऐसे स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय को अनुदान की राशि देय नहीं होगी, जिनकी स्थायी प्रस्वीकृति झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, रांची द्वारा किसी भी समय रद्द कर दी गयी हो अथवा तत्संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(xii) अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान के खाता का एकल संचालन नहीं किया जायेगा। यदि ऐसी स्थिति पायी जाती है, तो उसे अनुदान का भुगतान नहीं किया जायेगा। खाता संचालन स्थापित प्रक्रिया/नियमावली के अनुरूप ही की जायेगी।

(xiii) देय अनुदान राशि की वास्तविक गणना कर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को राशि आवंटित की जायेगी तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी उक्त राशि की निकासी कर संबंधित संस्थानों के खाता में DBT/RTGS/NEFT के माध्यम से नियमानुसार ससमय हस्तांतरित करेंगे।

(xiv). सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी संस्थावार सभी सूचना अलग–अलग संचिका में संकलित रखेंगे यथा–उपयोगिता प्रमाण पत्र, बंधक विलेख, भूमि संबंधी दस्तावेज, संस्था का निबंधन संबंधी अभिलेख इत्यादि ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर मुख्यालय को उपलब्ध करायी जा सके।

(xv). स्वीकृत अनुदान की राशि का उपयोग झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) अधिनियम, 2004, झारखण्ड राज्य वित्तरहित शैक्षणिक संस्थान (अनुदान) नियमावली, 2004 एवं यथासंशोधित नियमवाली, 2015 में निहित प्रावधान के अनुरूप किये जाने की पूर्ण जबाबदेही संस्थान के प्रबंध समिति/शासी निकाय की होगी।

(xvi). चूंकि वित्त रहित संस्थानों से विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है। अतः ऑफलाईन प्राप्त हुए कुछ आवेदनों पर विचार नहीं किये जाने का निर्णय लिया गया।

(xvii). उपरोक्त निर्धारित मापदण्ड/नीति के तहत की गई समीक्षा एव निर्णयानुसार वितीय वर्ष 2025–26 हेतु स्थापना अनुमति/प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय/स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय/प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय एवं प्रस्वीकृत मदरसा के कुल प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों पर संलग्न विवरणी के अनुसार संस्थानों को अनुदान राशि की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 में कतिपय संस्थानों द्वारा किये गये अपील आवेदन के आधार पर अनुदान की स्वीकृति सर्वसम्मति से दी गई। स्वीकृत एवं अस्वीकृत मामलों की पूर्ण विवरणी संलग्न है। संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :–

(क) वित्तीय वर्ष 2025–26

क्र. सं.	संस्थान	कुल प्राप्त आवेदन	समिति द्वारा विचार किये गए आवेदनों की संख्या	समिति द्वारा स्वीकृत किये गए कुल आवेदनों की संख्या	समिति द्वारा अस्वीकृत किये गए आवेदनों की संख्या	कुल प्रस्तावित राशि (रू. में)
1	स्थापना अनुमति/ प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय	289	289	179	110	163920000
2	स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय	171	171	79	92	290400000
3	प्रस्वीकृत मदरसा	32	32	16	16	6120000
4	प्रस्वीकृत संस्कृत विद्यालय	31	31	26	05	12240000
	कुल	**523**	**523**	**300**	**223**	**472680000**

(201)

(ख) वित्तीय वर्ष 2024–25 के लंबित अपील आवेदन

क्र. सं.	संस्थान	कुल प्राप्त अपील आवेदन	समिति द्वारा विचार किये गए अपील आवेदनों की संख्या	समिति द्वारा स्वीकृत किये गए कुल आवेदनों की संख्या	समिति द्वारा अस्वीकृत किये गए आवेदनों की संख्या	कुल प्रस्तावित राशि (रू. में)
1	स्थापना अनुमति/ प्रस्वीकृत माध्यमिक विद्यालय	11	11	08	03	7440000
2	स्थायी प्रस्वीकृत इंटर महाविद्यालय	04	04	01	03	3600000
3	प्रस्वीकृत मदरसा	02	02	01	01	360000
	कुल	17	17	10	07	11400000

4. सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड को यह सख्त निदेश दिया जाता है कि आवंटन प्राप्त होने के उपरांत अविलम्ब नियमानुसार जांच कर संबंधित संस्थानों को अनुदान की राशि का वितरण करेंगे एवं इसकी सूचना निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे, अन्यथा की स्थिति इसकी सम्पूर्ण जबाबदेही संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी की होगी

सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

18/03/2025

(विजय नारायण)
अवर सचिव, वित्त विभाग
झारखण्ड, रांची।

(राजेश प्रसाद)
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
झारखंड, रांची।

18/03/2025

(उमा शंकर सिंह)
सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता
विभाग, झारखण्ड रांची।